UPBJ010060442026

न्यायालय District Judge, Bijnor

पीठासीन अधिकारी– (Sanjay Kumar.VII), **(उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP01997**

द्वितीय अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्याः– 2345/2026

धर्मपाल आदि बनाम उ0प्र0 सरकार

दिनांकः–31–07–2026

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्तगण **धर्मपाल पुत्र श्री कल्लू, सुमित पुत्र श्री धर्मपाल, लवकुश पुत्र श्री वीर सिंह एवं सुरेन्द्र पुत्र श्री वीर सिंह निवासीगण ग्राम करीमनगर मुबारक थाना नहटौर, जिला बिजनौर** की ओर से प्रस्तुत द्वितीय अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र पर प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया तथा प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न प्रपत्रों व केस डायरी का अवलोकन किया। प्रार्थी/अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र बल न देने के कारण दिनांक 23.06.2026 को निरस्त किया जा चुका है।

यह द्वितीय अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र प्रार्थी/अभियुक्तगण की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–153/2026, धारा–115(2), 125, 333, 351(3), 352 भारतीय न्याय संहिता, थाना नहटौर, जिला बिजनौर के प्रकरण में इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया कि उन्हें उपरोक्त मामले में गांव की पार्टीबंदी के कारण रंजिशन झूठा फंसाया गया है। प्रार्थीगण ने कोई अपराध नहीं किया है। वाद उपरोक्त की कथित घटना के सम्बंध में कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। अभियोजन द्वारा जो साक्षी दर्शाए गए हैं, वह हितबद्ध साक्षी हैं। प्रार्थीगण ने वाद उपरोक्त के वादी मुकदमा एवं उसके परिजनों के साथ कोई घटना कारित नहीं की है। वास्तविकता यह है कि वादी मुकदमा ने हमारे घर के सामने रिक्शा खड़ी कर दी थी। प्रार्थी धर्मपाल द्वारा जब घर के सामने से रिक्शा हटाने को कहा गया तो वादी मुकदमा भड़क गया और उसने अपने पुत्र व अन्य परिजनों को बुला लिया, जिन्होंने आकर प्रार्थीगण के साथ मारपीट की, जिसमें प्रार्थी लवकुश के चोट भी आयी हैं। इसके पश्चात वादी मुकदमा ने थाना हाजा की पुलिस से हमसाज होकर उल्टा प्रार्थीगण के विरूद्ध झूठा मुकदमा लिखा दिया, जबकि पुलिस थाना हाजा न प्रार्थीगण की कोई रिपोर्ट नहीं लिखी। वाद उपरोक्त के चोटिल की सभी चोटें साधारण प्रकृति की हैं। प्रार्थीगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थीगण को सम्बन्धित पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये जाने की सम्भावना है। अतः प्रार्थीगण द्वारा दौरान मुकदमा अग्रिम जमानत प्रदान किये जाने की याचना की गयी है।

अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न प्रथम सूचना रिपोर्ट व केस डायरी के अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा सुभाष, उसके पुत्र दीपक एवं वादी की पुत्रियों रूपा व नीतू के ऊपर पथराव करने तथा वादी के घर में

घुसकर लाठी डंडों से मारपीट करने तथा उन्हें गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देने का आरोप है।

उपरोक्त मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट एक दिन के विलंब से लिखायी गयी है। अभियुक्तगण द्वारा की गयी कथित मारपीट से वादी मुकदमा व अन्य चुटहिलों को आयीं सभी चोटें उनकी मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार साधारण प्रकृति की होना बतायी गयी हैं। उपरोक्त मामले में बाद विवेचना आरोप पत्र तैयार किया जा चुका है। अभियुक्तगण को उपरोक्त मामले में धारा–35(3) बी0एन0एस0एस0 के नोटिस पर थाने से जमानत पर होना बताया गया है। उपरोक्त प्रकरण में अभियुक्तगण पर आरोपित अपराध मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय तथा अधिकतम सात वर्ष तक की सजा से दण्डनीय है। अभियुक्तगण का पूर्व आपराधिक इतिहास भी नहीं बताया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित विधि व्यवस्था–**सतेन्द्र कुमार अन्टिल बनाम सेन्ट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टीगेशन आदि 2022(3) क्राइम्स 290 (एस0सी0)** में दिये गये विधिक सिद्धांतों के प्रकाश में व प्रकरण के तथ्यों एवं प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्तगण का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी/अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र **स्वीकार** किया जाता है। अभियुक्तगण प्रत्येक को **पच्चीस–पच्चीस हजार रुपये** के व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान राशि के दो–दो प्रतिभू निम्न शर्तों के अधीन दाखिल करने पर संबंधित मजिस्ट्रेट की संतुष्टि पर जमानत पर रिहा किया जाये–

1– अभियुक्तगण मामले से संबंधित किसी भी साक्षी को डरायेंगे व धमकायेंगे नहीं।

2– अभियुक्तगण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन या धमकी नहीं देंगे।

3– अभियुक्तगण न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोडेंगे।

4– अभियुक्तगण न्यायालय में आरोप विरचन की तिथि, बयान धारा–313 दं0प्र0सं0/351 बी0एन0एस0एस0 के स्तर पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेंगे।

यदि आवेदक/अभियुक्तगण उपरोक्त वर्णित शर्तों का पालन नहीं करते हैं तो संबंधित न्यायालय/विवेचक अभियुक्तगण को दी गई अग्रिम जमानत को निरस्त करने के लिये स्वतन्त्र होंगे।

(संजय कुमार–VII)
सत्र न्यायाधीश, बिजनौर।
31.07.2026

Digitally signed by SANJAY KUMAR
Date: 2026.07.31 17:32:55 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court